न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

क्रमांक:—राजस्व/2026/191 दिनांक:—14/5/2026

तहसीलदार (राजस्व)
भादरा।

विषयः—अनवानी प्रकरण संख्या 06/2023 अनवानी मोमनराम बनाम स्टेट आदि अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवानी प्रकरण संख्या 06/2023 अनवानी मोमनराम बनाम स्टेट में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया है प्रार्थी की प्रार्थना व माननीय सहायक कलक्टर नोहर मुख्यालय भादरा का निर्णय व पर्चा डिक्री व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर नोहर मुख्यालय भादरा द्वारा पारित निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 20.04.1993 की पालना में पूर्व में रोही चक 14 एएमएस व 17 एएमएस की कृषि भूमि में उक्त निर्णय व पर्चा डिक्री की पालना की जा चुकी है। अतः तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्णय व पर्चा डिक्री की पालना में नामान्तरण दर्ज होने से शेष रही चक 1 एसडीआर के मु0 न0 32 के किला न0 3/1, 7, 8, 9, 10 की कुल 1.265है0 जांच कर उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण मुताबिक माननीय सहायक कलक्टर नोहर मुख्यालय भादरा निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 20.04.1993 में अंकन अनुसार वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं0 2 रामदयाल का 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 को 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 को 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 व 6 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा अनुसार पालना करवाई जाना सुनिश्चित करें। पालना करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
भादरा जिला हनुमानगढ़